



## क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

चौधरी कम्पस, दुर्गा पेट्रोल पम्प के पास, दाहोद रोड, बांसवाड़ा

क्रमांक : राप्रनिम/क्षे. का. बांसवाड़ा / 2021-22/59

दिनांक: 15.09.2021

### पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सुचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैसर्स मुमल माईक्रोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्वार्टज (अप्रधान खनिज) खदान खनन पट्टा एम एल संख्या 38/2019, खनन क्षेत्रफल 1.0386 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 37471 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. (क्लस्टर क्रमांक 69, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.7729 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 602603 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.), निकट ग्राम— कराडा का वाडा, तहसील— सागवाड़ा, जिला— डुंगरपुर से सम्बंधित क्लस्टर प्रस्तावित परियोजना बाबत पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA), पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. चूंकी मैसर्स मुमल माईक्रोस प्राइवेट लिमिटेड, खनन पट्टा एम एल संख्या 38/2019, खनन क्षेत्रफल 1.0386 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 37471 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम. द्वारा कराडा का वाडा क्वार्टज (अप्रधान खनिज) माइन क्लस्टर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बंध में पर्यावरणीय जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेज के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। क्लस्टर में सम्मिलित अन्य खनन परियोजनाए 1. मैसर्स ग्लोबल मिनरल एम एल न. 12/2018, एरिया 1.0273 हैक्टेयर 2. श्री विकास बामनिया एम एल न. 35/2019, एरिया 1.0351 हैक्टेयर 3. श्री अभिज्ञान शर्मा एम एल न. 5/2019, एरिया 1.0533 हैक्टेयर 4. मैसर्स क्वार्टज इंडिया ट्रेडर्स एम एल न. 6/2019, एरिया 1.0857 हैक्टेयर 5. मैसर्स गिस्ट मिनरल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एम एल न. 3/2019, एरिया 1.1677 हैक्टेयर 6. मैसर्स गिस्ट मिनरल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एम एल न. 08/2019, एरिया 1.1301 हैक्टेयर 7. श्रीमति शकुंतला सिंघल एवं श्रीमति इंदु अग्रवाल एम एल न. 24/2019, एरिया 1.2351 हैक्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 8.7729 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 602603 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) हैं।

3. चूंकी मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसुचना संख्या-एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सुचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

4. उक्त परियोजना से सम्बंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है –

- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, डुंगरपुर ।
- (2) कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, डुंगरपुर ।
- (3) कार्यालय खनिज अधियंता, डुंगरपुर ।
- (4) कार्यालय उपर्युक्त अधिकारी, तहसील सागवाड़ा, जिला डुंगरपुर ।
- (5) सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, डुंगरपुर ।
- (6) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या -8240, द्वितीय तल, उ-प(एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर ।
- (7) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4 पर्यावरण मार्ग, संरथानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।

- (8) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाडा ।
- (9) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ए-209 एवं 218, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर ।
- (10) कार्यालय ग्राम पंचायत, ग्राम— कराडा का वाडा, तहसील— सागवाडा, जिला— डुंगरपुर ।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की आप उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 21/10/2021 (गुरुवार) को प्रातः 11.00 बजे खनन स्थल ग्राम पंचायत, ग्राम— कराडा का वाडा, तहसील— सागवाडा, जिला— डुंगरपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाडा में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यह आम सुचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Sd—

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

क्षेत्रीय कार्यालय, बांसवाडा